

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2972

दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समेकन

2972. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2025 के मानसून और ग्रीष्म ऋतु के दौरान हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और अन्य पहाड़ी शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, शहरी बाढ़, भू-स्खलन और लू की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और इन स्थितियों से निपटने में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चरम मौसमी स्थितियों की घटनाओं की सात दिन पहले भविष्यवाणी करने के लिए राष्ट्रीय आपदा डाटाबेस के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के समेकन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) को सांविधिक दर्जा प्रदान किए जाने से हिमाचल प्रदेश जैसे आपदा-संवेदनशील पहाड़ी राज्यों को आपदा राहत निधि और अधिक तेजी से तथा समयबद्ध तरीके से जारी करना सुनिश्चित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): तीव्र शहरीकरण के कारण बड़े शहरी क्षेत्रों में, जो एक से अधिक जिलों में भी फैले हुए हैं, नई और अनूठी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए, शहरी आपदा जोखिम प्रबंधन के मुद्दे का समाधान करने और शहरी मुद्दों के प्रति एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के माध्यम से प्रावधान '41 अ' जोड़ा गया है, जो राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले सभी शहरों में (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर), शहरी आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) गठित करने का अधिकार देता है, ताकि शहर-विशिष्ट आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) शहरी योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें बाढ़ और लू जैसी शहरी विशिष्ट कमजोरियों का समाधान करना और इसके कार्यान्वयन का समन्वय करना शामिल है। अतः, यूडीएमए की स्थापना राज्य सरकारों का दायित्व है।

(ख): आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस का निर्माण अनिवार्य किया गया है, जिसमें जोखिम आकलन, शमन योजनाएं और आपदाओं से संबंधित वास्तविक समय का डेटा शामिल होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) जैसी चेतावनी एजेंसियों ने सात दिन पहले की भविष्यवाणियों के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में एआई एमएल मॉडल को एकीकृत किया है। इसमें मिशन मौसम के तहत बाढ़ पूर्वानुमान (सात दिन पहले तक) और चक्रवात ट्रैकिंग के लिए एआई-संचालित सिमुलेशन शामिल हैं।

(ग): उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है। आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले भी एचएलसी अस्तित्व में थी। आपदा प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 में संशोधन के माध्यम से एचएलसी को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय किसी गंभीर आपदा की स्थिति में, नुकसान का तत्काल प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का समय पर गठन और प्रतिनियुक्ति करता है।

एचएलसी ने बाढ़ /अचानक बाढ़ चक्रवात/अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण / पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण की जरूरतें, आदि के लिए 2025-26 के दौरान विभिन्न राज्यों को एनडीआरएफ से 4576.7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।